द्वारा ई–मेल / फैक्स / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः 47 / अठ्ठारह–233–2016(लेखा)   दिनांकःमार्च 21 ,2016

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक, (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	परिक्षेत्र / इकाई	चयन का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	770020127	बृजलाल यादव	राम जतन यादव	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	2014
2.	800510091	चन्द्रभान	कुन्दन	जनपद मैनपुरी	आगरा परिक्षेत्र	2014
3.	790821380	श्रीमती अमिता भार्गव	कैलाश चन्द्र भार्गव	सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	लखनऊ।	2014
4.	790821407	उमेश चन्द्र वर्मा	राम मूर्ति लाल वर्मा	पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय, अभिसूचना, मुरादाबाद	मुरादाबाद	2014
5.	800821300	ध्रुव नाथ	राम अक्षयवर	पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय, अभिसूचना, फैजाबाद	–	2014
6.	820210014	अशोक कुमार शर्मा	स्व0 बद्री प्रसाद शर्मा	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ	–	2014
7.	820020035	सुशील कुमार मिश्रा	राम बहादुर मिश्र	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	2014
8.	820080015	नन्द किशोर शर्मा	स्व0 नत्थूराम शर्मा	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन,	मेरठ	2014
9.	830820351	उमा शंकर तिवारी	राम प्यारे तिवारी	अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश	2014
10.	870020085	अनूप कुमार डे	भानू रंजन डे	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	2014
11.	870020115	उमेश चन्द्र शर्मा	लाला राम शर्मा	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद	2014
12.	750650050	अशरफ अहमद सिद्दीकी	एस0एम0 सिद्दीकी	बाराबंकी	फैजाबाद	2014

2. पदोन्नति पाये समस्त पुलिस निरीक्षक (लेखा) गण अपने नियुक्ति स्थान जनपद / इकाई / शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा । जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझाा जायेगा। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो

ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये पुलिस निरीक्षक (लेखा) गणों की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।
(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक– प्रारूप (क)

(ए0के0 शुक्ल)
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2– निदेशक/सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
3– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
4– पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी एवं बाराबंकी।
9– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।
10– पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो लखनऊ।

11– निदेशक, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
12– पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–

1. अनुभाग अधिकारी अनुभाग–वेतन पर्ची सेल/4 सी एवं तेरह पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से वे कृपया अपने अनुभाग में नियुक्त उक्त कर्मियों के प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सर्वसम्बन्धित को अवगत करायें।
2. अनुभाग अधिकारी–20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को शासकीय गजट के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के हेतु।

2/3

(ए0के0 शुक्ल)
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

–––